न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी संख्या : 37/2016
आर.सी.एम.एस नम्बर : 2016/00189

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थीगण :—

मूलाराम पुत्र मोहनलाल जाति कुमावत
निवासी देसूरी, तहसील देसूरी, जिला पाली

ग्राम पंचायत देसूरी जरिये सरंपच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :—
अधिवक्ता प्रार्थी श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक 27.02.2020

वकील प्रार्थी द्वारा यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत विरूद्व ग्राम पंचायत देसूरी के द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 20.04.2015 को निरस्त करवाने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी को तलब किया गया एवं पंचायत का जैर निगरानी प्रस्ताव रजिस्टर तलब कर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा बी.पी.एल. श्रेणी का व्यक्ति का होने के कारण जी.एस.वाई. स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अन्तर्गत देसूरी के राठेलाव चौराहे पर जलदाय विभाग के पास स्थित दुकानों मे से दुकान नम्बर 04 प्रार्थी को दिनांक 23.10.2000 को विकास अधिकारी एंव ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर आवंटन की गई थी तब से ही प्रार्थी के आधिपत्य में उक्त दुकान है और वह व्यवसाय कर रहा है उक्त आदेश आज भी प्रभावी एवं वैद्य है किराया दिनांक 18.03.2015 को रसीद संख्या 768 द्वारा 17 माह का जमा करवाया गया है। उसके बाद का किराया जानबुझ कर नही लिया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिवत प्रक्रिया अपनाये ही दिनांक 27.03.2015 को राजनैतिक वैमनस्यता के कारण अप्रार्थी द्वारा गलत व अपूर्ण नोटिस दिया जिसमे तथ्य स्पष्ट नही थे। प्रार्थी ने सूचना पत्र दिनांक 22.04.2015 को रजिस्टर डाक से दुकान स्वयं चलाने, आगे किसी अन्य व्यक्ति को किराये नही देने तथा किसी प्रकार से दखल नही देने बाबत लिखा तथा प्रार्थी के विरूद्व ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश की मांग की गई। इस पर सरपंच महोदय ने धमकाते हुए प्रस्ताव पारित करने की धमकी दी। प्रार्थी को प्रमाणित प्रति नही दी गई। अन्ततः ग्राम पंचायत के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय सिविल जज देसूरी मे प्रस्तुत किया तथा स्थगन आदेश प्राप्त करना पडा। उसी के तहत प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति आवेदन पेश करने पर अथवा किराये पर देने के बाद बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी प्रस्ताव के द्वारा आवंटन को अथवा किरायेदारी को खारिज अथवा समाप्त करने का अधिकार नही है। ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही शुन्यवृत है। विधि अनुसार प्रार्थी को न तो नोटिस दिया गया न जवाब एंव सुनवाई का अवसर दिया गया तथा प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरित उपरोक्त जैर निगरानी प्रस्ताव पारित किया जो अपास्त किया जावें। पंचायत को स्वयं के द्वारा पूर्व में पारित प्रस्ताव को रिव्यु करने का अधिकार नही है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा बिना विधिवत कार्यवाही किए व बिना खाली करायें झुठी फर्द दिनांक 21.04.2015 को बनाते हुए दुकान खाली कराने की मौका फर्द बनाना बताया जो सरासर गलत है। ग्राम पंचायत द्वारा किए गए आवंटन अर्थात किरायेदारी के संबध में अलग से विधिक प्रावधान विद्यमान है। जिस अनुसार पंचायत कार्यवाही करने हेतु बाध्य है। ग्राम पंचायत देसूरी बावजुद तामील के कोई भी पैरवी हेतु उपस्थित नही हुआ है। ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा प्रस्ताव रजिस्टर भिजवाया गया है जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा आगे से

जिला कलेक्टर, पाली

किराये पर दुकान देने से आवंटन खारिज किया जाने बाबत प्रस्ताव लिया गया उल्लेखित है। प्रार्थी द्वारा दुकान आगे अन्य किसी व्यक्ति को किराये पर नही दिये जाने से ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली सलग्न विकास अधिकारी के पत्रांक प.स.दे./पंचायत/2015/3082 दिनांक 17.03.2015 के अनुसार प्रस्ताव पारित कर दुकानों के समूह बनाकर किराया निर्धारित करने जिनमें बी0पी0एल0 हितों का ध्यान रखा जाकर किराये पर देने एंव किरायें में बढोतरी करते हुए प्रतिवर्ष एग्रीमेन्ट किये जाने का उल्लेख है उक्त आदेश के सन्दर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही की गई हो अथवा एग्रीमेन्ट किए गए हो इस संबध में कोई भी दस्तावेज न तो प्रार्थी ने प्रस्तुत किए न ही पंचायत द्वारा ही भिजवाये गए है ऐसी स्थिति में समझौते का उल्लंघन हुआ अथवा नही ग्राम पंचायत द्वारा किन परिस्थितियों में दुकान आवंटन जरिए प्रस्ताव संख्या 09 दिनांक 20.4.2015 को लिया गया इसकी सही रूप से समीक्षा संभव नही है यह प्रकरण ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा दुकान के किरायें पर देने एवं खाली कराने से सम्बधित है तथा किराये की दुकान खाली कराने के संबध में अलग से विधिक प्रावधान है जिसके अनुसार पिड़ित पक्षकार किरायेदारी कानुन के तहत सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर चाराजोही करने के लिए स्वतन्त्र है। ऐसी स्थिति में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली